

पत्र सं०-सी०/ई०एच०-11/2016...../जे०

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

महाधिवक्ता, बिहार,
उच्च न्यायालय, पटना

पटना, दिनांक.....

विषय:- श्री अजय कुमार रस्तोगी, अपर महाधिवक्ता संख्या-10 के सहायतार्थ
सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री अजय कुमार रस्तोगी, अपर महाधिवक्ता संख्या-10 के पत्र संख्या-274, दिनांक-21.02.2017 से प्राप्त अनुशंसा के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने विधि विभागीय पत्रांक-5794/जे०, दिनांक-21.09.2016 द्वारा श्री अजय कुमार रस्तोगी, अपर महाधिवक्ता संख्या-10 के सहायतार्थ पूर्व से नियुक्त सहायक अधिवक्ता श्री अमीय कुनाल, निबंधन संख्या-1107/2007 को सहायक अधिवक्ता के पद पर की गई नियुक्ति से विमुक्त करते हुये उनके स्थान पर श्री रोहिताभ दास, निबंधन संख्या-1337/2003 को दिनांक-21.02.2017 (अनुशंसा पत्र की तिथि) के प्रभाव से अपर महाधिवक्ता संख्या-10 के सहायतार्थ सहायक अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की कृपा की है।

2. सहायक अधिवक्ता के रूप में इनकी सेवा इनके वरीय अधिवक्ता के सह-विस्तारी (Co-terminus) अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक सीमित रहेगी।

3. सहायक अधिवक्ता को वही शुल्कादि देय होगा जो विधि विभागीय पत्रांक-484/जे०, दिनांक-01.10.2012 द्वारा पूर्व से निर्धारित है।

विश्वासभाजन



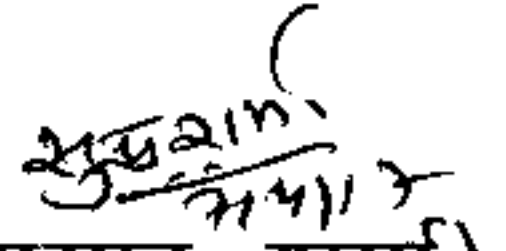
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

संख्या-.....1969/जे०,

पटना, दिनांक...10-4-17

प्रतिलिपि:- श्री अजय कुमार रस्तोगी, अपर महाधिवक्ता संख्या-10, महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना एवं विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

21/04/17